दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण

Certified under ISO 9001:2008:14001:2004

सामान्य प्रशासन विभाग
श्रम कल्याण अनुभाग
वेबसाईट:www.deendayalport.gov.in
फेकस : (02836) 233172
टेलीफोन सं : (02836) 223828/230072

प्रशासनिक भवन
पोस्ट बॉक्स सं-50
गांधीधाम
गुजरात पिन कोड -370201

सं :जीए/जीएन/5511/जी-I/676 **दिनांक: 07/11/2022**

श्री वनराजसिंह एम. गोहिल,
ड्राईवर (ME), P.No. 3982,
यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण

विषय : पोर्ट कर्मचारी आवासीय संकुल, गोपालपुरी स्थित स्टाफ क्लब का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी ।

महोदय,

आप के पत्र दिनांक 02.11.2022 के संदर्भ मेँ सूचित किया जाता है कि सचिव, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, गांधीधाम ने पोर्ट कर्मचारी आवासीय संकुल, गोपालपुरी स्थित स्टाफ क्लब, गोपालपुरी, छोटे भाई के सीमंत हेतु दिनांक: **20.11.2022** को निम्न लिखित शर्तो के आधीन रहकर के उपयोग करने के लिए संहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है ।

क्रम सं	विवरण	राशि रूपये में
1	उपरोक्त आबंटन के लिए भाड़ा रू.50/- प्रतिदिन का लिया जाएगा । (रु.50 /-X 1 दिन के अनुसार)	50/-
2	इस भाड़ा के अलावा उन्हें संपदा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ली गई मीटर रिडीग के आधार पर बिजली ओर जल प्रभारों के मद्द्दे रू.500/- की जमा राशि भी अदा करनी होगी।	500/-
कुल योग की राशि दीन दयाल पोर्ट प्राधिकरण के कंडला पोर्ट कर्मचारी कल्याण निधि सं.3515 में चेक/डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्त विभाग मेँ जमा करानी होगी ।		550/-
3	विध्युत चार्ज वास्तविक बिजली यूनिट के उपयोग के अनुसार (जमा राशि में से कटौती की जाएगी)	
4	स्टाफ क्लब जिस उदेशय से उपयोग करने हेतु संस्वीकृति प्राप्त है,उसी उदेशय से ही उपयोग होना है, एवं उपर्युक्त अनिवार्य कटोतीयों के पश्चात शेष राशि वापस की जाएगी ।	
5	स्टाफ क्लब परिसर के अंदर रसोई बनाने की अनुमति नही है। समारोह समाप्त होने के बाद स्टाफ क्लब परिसर की सम्पूर्ण सफाई उपभोक्ता द्वारा की जाएगी ।	
6	आवेदक/आयोजक भवन और उसके साज सामान आदि को किसी भी प्रकार की हानि अथवा क्षति होने पर वह उसकों प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार रहेंगें और उसे स्टाफ क्लब का उपयोग करने से पहले संपदा कार्यालय को तत्सबंधित वचनबंध भी लिखित रूप से देना होगा।	
7	इस परिसर का इस्तेमाल उपरोक्त बताये गए उदेशय के लिए ही किया जाएगा तथा यह सुनिश्चिंत करना होगा कि अत्याधिक तेज बजने वाले लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल से आसपास के परिसरों में रहने वालों की शांति भंग नही होगी तथा मकानों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई में व्याधान नही आएगा तथा गोपालपुरी अस्पताल में भर्ती रोगियों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही रात को 10:00 बजे लाउड स्पीकर बंद कर देना होगा तथा कॉलोनी के निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आवेदक को पूर्णतया जिम्मेदार माना जाएगा।लाउड स्पीकर बजाने के लिए पुलिस अथॉरिटी एवं संबंधित सरकारी विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।	
8	आवेदक/आयोजक द्वारा आयोजित किए जानेवाले कार्यक्रम से किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग या समुदाय के लोगों के लिए आक्रोश, अपमान अथवा किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं या विश्वाश को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं होना चाहिए ।	

9	आवेदक/आयोजक द्वारा उपरोक्त नियम और शर्तो को तोड़ने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
10	स्टाफ क्लब, गोपालपुरी को उपयोग में लेने तथा वापस सोंपने का कार्य संपदा कार्यालय, गोपलपुरी के माध्यम से किया जाएगा ।
11	संबंधित पोर्ट आवेदक/आयोजक को सूचित किया जाता है की पोर्ट प्रशासन द्वारा उकत्त मामले में दी गई मंजूरी को किसी भी स्तर पर रद करने का अधिकार पोर्ट प्रशासन को होगा । यदि पोर्ट कर्मचारी/पक्षकार द्वारा मंजूरी के संबंध में कोई राशि जमा कराई होगी, तो उसे वापस लोटाई जाएगी ।
12	इस संबंध मे जिल्ला मेजिस्ट्रेट, भुज तथा गृह विभाग, गुजरात सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / कोविड – 19 से संबंधित सरकारी गाईड लाईन्स का आवेदक/ आयोजक को कड़ाई से पालन करना होगा ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

[signature]

प्र. कार्मिक अधिकारी
दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण

<u>प्राधिकार:</u>- सचिव, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने मिसिल सं जीए/जीएन/5511/जी-। की टिप्पणी सं. 47 में दिनांक 03/11/2022 से अनुमोदन प्रदान किया है ।

प्रतिलिपि:

1. लेखा अधिकारी (फोर्म-48) : कुल योग की राशि रु.550/-(रु.50/- किराया, रु.500/-जमा राशि के तोर पर) उक्त पक्षकार से लिए जाए । कार्यक्रम पूर्ण होने पर अधिशासी अभियंता (विध्युत) तथा अधिशासी अभियंता (नगर विकास) के द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार जमा राशि मेँ से आवश्यक कटोती के पश्चात शेष राशि वापस लोटाई जाए।

2 .अधिशासी अभियंता (नगर विकास) : प्रभारी, संपदा कार्यालय, गोपालपुरी से अनुरोध है कि वे संबंधित पक्षकार (उपयोगकर्ता) द्वारा जारी जमा राशि की रसीद प्रस्तुत करने पर स्टाफ क्लब का कब्जा सोंपा जाएगा ।

3. अधिशासी अभियंता (विध्युत) : प्रभारी, विध्युत प्रभाग का कार्यालय, गोपालपुरी से अनुरोध है कि वे (उपयोगकर्ता) द्वारा जारी स्टाफ क्लब का कब्जा लेने तथा सोंपने के समय पर मीटर रीडिंग लिया जाए ताकि विध्युत चार्ज के बिल की वसूली की जा सके।